न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 42/2022

जी.सी.एम.एस. : 2022/180

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
मैसर्स मंगलदास नारायणदास उ.मु.दु. (1624) जरिये प्रोपराईटर मंगलदास पुत्र नारायणदास जाति मैणा निवासी धोलेरिया शासन तहसील रोहट जिला पाली		श्रीमान जिला रसद अधिकारी (राजस्थान सरकार) पाली तहसील पाली जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनियमन) आदेश 1976 एंव आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थित :–
अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मीनारायण वैष्णव
रेस्पोडेण्ट की ओर से जिला रसद अधिकारी पाली

–: निर्णय :–

दिनांकः– 13-2-2024

अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा **धारा** 22 राजस्थान खाद्यान एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनियमन) आदेश 1976 एंव आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत न्यायालय जिला रसद अधिकारी पाली के प्रकरण संख्या 10/2018 बअनवान जिला रसद अधिकारी पाली बनाम मैसर्स मंगलदास नारायणदास में पारित निर्णय दिनांक 17.02.2020 के विरूद्ध पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहरात हुए कथन किया कि जिला रसद अधिकारी श्रीमति शिवानी अस्थाना ने अपीलाण्ट की फर्म मैसर्स मंगलदास नारायणदास उ.मु.दु (1624) धोलेरिया शासन तहसील रोहट का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पॉस मशीन के अनुसार 231 क्विंटल गैहु स्टॉक में होना चाहिए था परन्तु भौतिक सत्यापन में 148 क्विंटल गैहुं ही पाया गया। पॉश मशीन में 45 क्विंटल गैंहु ज्यादा चढ़ा होने के बावजुद प्रथम दृष्टया 38 क्विटल गैंहु का स्टॉक कम पाया गया, जिसे आधार मानकर अपीलाण्ट का अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया गया। वक्त निरीक्षण अपीलार्थी उ.मु.दु पर मौजुद नही होने से रेस्पोडेण्ट ने समस्त कार्यवाही अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में कर जैर अपील निर्णय पारित कर दिया एवं न ही अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने एवं पैरवी करने का पर्याप्त अवसर दिया गया, जो विधि एवं न्याय के सिद्वान्तो के विपरित है। रेस्पोडेण्ट ने वक्त निरीक्षण किसी प्रकार की मौका फर्द एंव अन्य कार्यवाही न कर वक्त निरीक्षण उपस्थति गवाह एवं मौतबिरानों से खाली कागज पर हस्ताक्षर करवा कर समस्त कार्यवाही स्वंय के ऑफिस में बैठ कर की गई। अपीलाण्ट द्वारा किसी प्रकार का गबन या अनियमितता नही बरती गई हैं। माह फरवरी 2018 में एफ.पी.एस.कोड 1624 में 6500 किग्रा गैहुं आवंटित किये जाने पर थोक विक्रेता अपलीण्ट द्वारा भी 6500 किग्रा गेहुं की आपुर्ति की गई थी परन्तु त्रुटिवश फिस्ट पोर्टल पर 11000 किग्रा गैहुं की सुचना अपडेट हो गयी थी, जिसकी सुचना अपीलाण्ट द्वारा सम्बधित अधिकारी को दी गई जिस पर संबधित अधिकारी ने संशोधन की अनुशंषा भी की गई थी जिससे अपीलाण्ट का पोर्टल

अति. जिला कलक्टर, पाली

अपडेट नही था। वक्त निरीक्षण कम पाया गया गैंहु अन्य जगह पर रखा हुआ था जिसकी सुचना तुरन्त ही रसद अधिकारी को दे देने के बावजुद रेस्पोडेण्ट ने अपीलाण्ट के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही कर अनुज्ञापत्र निरस्त कर दिया। रेस्पोडेण्ट ने अपीलाण्ट के विरूद्ध प्रकरण दर्ज करने का एक कारण यह भी बताया की अनुज्ञापत्रधारी उ.मु.दु (1624) द्वारा समय पर राशन सामग्री का वितरण नही किया जाता एवं आमजन के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, लेकिन इस संबध में किसी प्रकार की लिखित शिकायत पत्रावली पर मौजुद नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जब्दशुदा गैहु मानव आहार के योग्य नही बताया गया है लेकिन वास्तविकता यह है कि जिस समय गैहुं जब्त किया गया था उस समय गैहु मानव आहार के लिए उपयुक्त था लेकिन बाद जब्ती के अगर गैहुं खराब हो जाता है तो उसके लिए अपीलार्थी को उत्तरदायी नही ठहराया जा सकता है। वक्त निरीक्षण अपीलाण्ट मौके पर उपस्थित नही था ऐसे में अपीलाण्ट के विरूद्ध कार्यवाही कर अपीलार्थी का अनुज्ञा पत्र निरस्त किया जाना न्यायोचित नही है एवं अपीलार्थी के विरूद्ध रेस्पोडेण्ट ने एक फौजदारी प्रकरण पुलिस थाना रोहट में अन्तर्गत धारा 3,7,8, आश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दिनांक 28.05.2018 को दर्ज करवाया जो जैर विचाराधीन होने के बावजुद भी रेस्पोडेण्ट का अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया जो विधि विरूद्ध एंव विधिक सिद्धातों के विरूद्ध है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधारा पर यह स्पष्ट है कि रेस्पोडेण्ट ने बिना कोई ठोस सबुत के अपीलाण्ट के विरूद्ध दैषता पुर्ण भावना रखते हुए जैर अपील आदेश पारित कर अपीलाण्ट का उ.मु.दु (1624) का अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया जो विधि विरूद्ध एंव न्याय के सिद्धातों के विपरित होने से काबिल खारिज योग्य है।

अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि अपीलाण्ट के उ.मु.दु.(1624) का आकस्मिक निरीक्षण करने हेतु वितरण केन्द्र पर पहुचें जहां मौके पर दुकान बन्द पायी जाने से पडौसी से दुकान की चाबी लेकर दुकान खोलकर पॉश मशीन एवं स्टॉक का निरीक्षण किया गया जिसमें पॉश मशीन के अनुसार 231 क्विटल गैहु होना चाहिए था, लेकिन भौतिक सत्यापन में 148 क्विटल गैहुं ही पाया गया एंव वक्त निरीक्षण उपभोक्ताओ द्वारा भी राशन डीलर की समय पर राशन सामग्री वितरण नही करने एवं अभद्र व्यवहार की शिकायत की जिस पर मौके पर फर्द बना कर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ(वितरण का विनियमन)आदेश 1976 के तहत प्रकरण दर्ज कर समस्त कार्यवाही नियमानुसार एवं विधि अनुसार अपना कर अपीलाण्ट के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर जवाब एंव पैरवी का समुचित अवसर देकर अनुज्ञापत्र की शर्तो का उल्लघन करने के कारण जैर अपील आदेश पारित कर उ.मु.दु.(1624) मैसर्स मंगलदास नारायणदास का अनुज्ञा पर निरस्त किया। अतः अपीलाण्ट का जैर अपील प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर पाया गया कि जैर अपील आदेश अपीलार्थी के उ.मु.दु. का औचक निरीक्षण करने पर पॉश मशीन एवं भौतिक सत्यापन मे विरोधाभास पाया जाने एवं वक्त निरीक्षण अनुज्ञापत्र धारी के विरूद्ध समय पर राशन वितरण नही करने एवं अभद्र व्यवहार करने पर जैर अपील प्रकरण दर्ज कर अपीलार्थी का अनुज्ञा पत्र निरस्त किया गया था। दिनांक 30.04.2018 को जिला रसद अधिकारी पाली हमराह शिवानी अस्थाना प्रवर्तन निरीक्षक सुमेरपुर के द्वारा मैसर्स मंगलदास नारायणदास उ.मु.दु.(1624) धोलेरिया शासन तहसील रोहट का आकस्मिक निरीक्षण किया गया वक्त निरीक्षण अनुज्ञापत्र धारी श्री मंगलदास अपने पुत्र की शादी की पत्रिका देने सिवास गया हुआ होने से मंगलदास की पत्नी की मौजुदगी में स्टॉक का निरीक्षण किया गया वक्त निरीक्षण पॉश मशीन के अनुसार 231 क्विंटल गैहु होना चाहिए था किन्तु भौतिक

अति. जिला कलक्टर, पाली

सत्यापन करने पर 148 क्विंटल गैहुं पाया गया तथा पॉश मशीन में 45 क्विंटल स्टॉक ज्यादा चढ़ा होने के बावजुद प्रथम दृष्टया 38 क्विटल गैहु का स्टॉक कम पाया गया जो गबन दृष्टिगोचर होता है एवं स्टॉक के संबध में गंभीर अनियमितता की श्रैणी में आता है। वक्त निरीक्षण अपीलाण्ट द्वारा समय पर राशन सामग्री वितरण नही करने एवं आमजन के साथ अभद्र व्यवहार एवं गलत भाषा का प्रयोग करने की शिकायत भी प्राप्त हुयी, साथ ही समय पर गैहुं वितरण नही करने की भी शिकायते प्राप्त हुयी है जिस पर मौके पर नियमानुसार मौका फर्द बना कर उपस्थित मौतबिरानों के हस्ताक्षर करवाये गये है। अपीलाण्ट द्वारा अपने जवाब में कहा गया की कम पाया गया गैहु पास के गोदाम में रखा बताया। प्राधिकार पत्र की शर्तो के अनुसार प्राधिकारधारक कलेक्टर को लिखित में पूर्व अनुज्ञा के बिना इस अधिकार में विर्निष्ट स्थानों के अतिरिक्त किसी भी अन्य स्थान पर खाद्यान्नों एवं अन्य आवश्यक वस्तुओ का भण्डारण नही कर सकता। अपीलाण्ट द्वारा उचित मुल्य दुकान के प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लंघन किया है। अपीलार्थी की अपना जवाब पेश करने हेतु कारण बताओ नोटिस दिनांक 02.05.2018 को जारी कर अपने जवाब पेश करने का अवसर दिया गया लेकिन नियत तारीख पेशी पर अनुपस्थित रहा व जवाब पेश नही किया। पुनः अपीलाण्ट को अंतिम अवसर देते हुए अपना जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी किया जिस पर अपीलाण्ट उपस्थित हुआ इस आधार पर यह स्पष्ट है कि अपीलाण्ट को अपना जवाब देने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। जिला रसद अधिकारी ने अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए अपीलार्थी के अनुज्ञा पत्र को अस्थायी तौर पर निरस्त कर वैकल्पिक व्यवस्था हेतु मैसर्स पोलाराम हरचंदराम उ.मु.दु को अधिकृत किया गया एवं नायब तहसीलदार रोहट को निर्देशित किया की उक्त प्रकरण के संबध में संबधित पुलिस थाना में उ.मु.दु. मंगलदास के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 व 3/8 के अन्तर्गत प्रथम सुचना रिपोर्ट दर्ज करवाने के निर्देश दिये गये जिस पर पुलिस थाना रोहट में प्राथमिकी दर्ज करवाकर गैंहु को पुलिस थाना में जब्त किया जाकर सुरक्षित स्थान पर रखवाने का निर्देश दिया गया। उक्त सभी कार्यवाही विधि अनुसार एवं नियमानुसार की गई है। ऐसे में जैर अपील आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। न्यायालय जिला रसद अधिकारी पाली के प्रकरण संख्या 10/2018 बअनवान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी पाली बनाम मैसर्स मंगलदास नारायणदास उ.मु.दु(1624)धोलेरिया शासन में पारित निर्णय दिनांक 17.02.2020 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की प्रति साथ उनके न्यायालय की मूल पत्रावली भिजवाई जावे।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 13-2-24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली